संख्या-10/2020/616 /53-2-20-2(44)/15

प्रेषक,

रविशंकर गुप्ता,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

दुग्धशाला विकास अधिकारी/ उप दुग्धशाला विकास अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी, दुग्धशाला विकास विभाग, उ0प्र0, मैनपुरी, आगरा, झांसी, जालौन(उरई), हमीरपुर, महोबा, बांदा, लखनऊ, लखीमपुरखीरी, बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत, मेरठ, रामपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, गोरखपुर, महराजगंज, देवरिया, बस्ती, सिद्धार्थनगर, आजमगढ़, मऊ, प्रयागराज, प्रतापगढ़, कानपुर, अयोध्या, अम्बेडकरनगर, गोण्डा एवं बहराइच।

दुग्ध विकास अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 24 अगस्त, 2020

विषय-वित्तीय वर्ष 2020-21 में दुग्ध उत्पादकों को तकनीकी निवेश(जिला योजना) योजनान्तर्गत अनुदान।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-117/दुग्ध-4/नियो0/ तकनीकी निवेश-सामान्य/2020-21, दिनांक- 22 जुलाई, 2020 तथा पत्रांक-149/दुग्ध-4/नियो0/ तकनीकी निवेश-सामान्य/2020-21, दिनांक- 07 अगस्त, 2020 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दुग्ध विकास विभाग के अन्तर्गत स्थापित संस्थाओं के माध्यम से प्रदेश के जनपदों में सहकारी दुग्ध समितियों के दुग्ध उत्पादक/सदस्यों को दुग्ध विकास कार्यक्रम के माध्यम से लाभान्वित कराने, □नकी आर्थिक स्थिति में उत्थान करने के लिए तकनीकी □पुट योजना चलाये जाने हेतु दुग्ध उत्पादकों को तकनीकी निवेश योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-16 के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 464.10 लाख के सापेक्ष 1/6 अर्थात रू0 77.35 लाख की धनराशि प्रथम किश्त के रूप में **संलग्नक** के अनुसार निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन सम्बन्धित दुग्धशाला विकास अधिकारी/उप दुग्धशाला विकास अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी भी दशा में बैंक/डाक घर में जमा नहीं किया जायेगा।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय जिन कार्यों /मदों हेतु अनुमन्य है उसी प्रयोजन में किया जायेगा। किसी अन्य मद में व्यय अनुमन्य नही होगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि से दवाओं /सामग्री आदि का क्रय निर्धारित प्रक्रिया व मानकों के अनुसार किया जायेगा।

(4) सम्बन्धित दुग्धशाला विकास अधिकारी/उप दुग्धशाला विकास अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी गत वित्तीय वर्ष 2019-20 की अवशेष धनराशि के समायोजन के उपरान्त स्वीकृत की जा रही धनराशि से व्यय सुनिश्चित करेगें।

(5) उक्त् स्वीकृत की जा रही धनराशि में से अनुरक्षण मद में कोई धनराशि व्यय नहीं की जायेगी। यदि किसी अनुरक्षण मद पर कोई व्यय आवश्यक हो तो सम्बन्धित दुग्ध संघ/समितियां अपने संसाधन से वहन करेगें।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि जिला योजना हेतु आवंटित परिव्यय में समायोजित होगी। समस्त व्यय संगत शासनादेशों/नियमों में उल्लिखित शर्तों व प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा । व्यय में किसी भी प्रकार की अनियमितता के लिए सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी/ धनराशि का उपयोग करने वाले □ाई प्रभारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। किसी भी प्रकार के विचलन की स्थिति में वे स्वयं ही उत्तरदायी होगें।

(7) प्रश्नगत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि □ हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/श्रोत से धनराशि स्वीकृत नही की गयी।

(9) व्यय में किसी भी प्रकार की अनियमितता के लिए सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी/ धनराशि का उपयोग करने वाले □ाई प्रभारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगें।

(10) धनराशि का आहरण करने तथा सम्बन्धित दुग्ध संघों को उपलब्ध कराने के बाद स्वीकृत धनराशि का निर्धारित प्रयोजन पर उपयोग सुनिश्चित कराकर उपयोगिता प्रमाण-पत्र दुग्ध आयुक्त को यथा समय उपलब्ध कराने का दायित्व सम्बन्धित प्रबन्धक/सामान्य प्रबन्धक, दुग्ध संघ एवं उप दुग्धशाला अधिकारी का होगा।

(11) स्वीकृति धनराशि का आहरण तथा उसके उपयोग के सम्बन्ध में आहरण अधिकारी के लेखे बही खाते एवं सम्बन्धित दुग्ध संघों के लेखे एवं बही खाते भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तथा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों के अवलोकनार्थ / परीक्षणार्थ उपलब्ध रहेंगे।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(12) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 24 मार्च, 2020 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों तथा शासनादेश दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(13) जिन मदों में व्यय के पूर्व वित्तीय हस्त-पुस्तिका के अधीन शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/ सहमति आवश्यक है उनमें धनराशि व्यय करने के पूर्व अनिवार्य रूप से शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाये।

(14) दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास विभाग द्वारा संबधित दुग्ध संघों को प्रश्नगत कार्यक्रम में उपलब्ध कराई जा रही धनराशि का निर्धारित मदों में उपयोग सुनिश्चित कराते हुए उसका उपयोगिता प्रमाण- पत्र संकलित कर शासन को द्वितीय किश्त की आवश्यकता से पूर्व उपलब्ध कराया जायेगा।

(15) प्रश्नगत योजना/ कार्यक्रम हेतु दुग्ध आयुक्त द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव में आंकड़ों की शुद्धता एवं सही होने का दायित्व दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास उ0प्र0 का होगा।

2- उर्पयुक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-16 के अधीन लेखाशीर्षक-**'2404-डेरी विकास-102-डेरी विकास परियोजनायें-03-दुग्ध विकास कार्यक्रम -0301- दुग्ध उत्पादकों को तकनीकी निवेश (जिला योजना) -20-सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन)''** के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020 दिनांक 24मार्च,2020 की व्यवस्था के अधीन निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक:यथोक्त।

भवदीय,

(रविशंकर गुप्ता)
विशेष सचिव।

संख्या- 10/2020/616(1)/53-2-2020, तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा प्रथम/आडिट प्रथम) उ0प्र0, प्रयागराज।
3- वरिष्ठ आडिट आफिसर (आडिट प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम), सत्यनिष्ठा भवन, 15 थार्नहिल रोड, प्रयागराज।
4- दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास विभाग, उत्तर प्रदेश।
5- प्रबन्ध निदेशक, पी0सी0डी0एफ0लि0, 29-पार्करोड, लखनऊ।
6- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी उ0प्र0।
7- वित्त नियन्त्रक, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
8- सम्बन्धित जिलाधिकारी।
9- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-3/राज्य योजना आयोग-3
10- सम्बन्धित अर्थ एवं संख्याधिकारी उ0प्र0।
11- सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
12- सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
13- मण्डलीय उप निदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभाग, उत्तर प्रदेश।
14- वेब मास्टर, दुग्धशाला विकास विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि इसे विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करें।
15- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बिन्द गोपाल द्विवेदी)
उप सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

क्रं0सं0	जनपद	आहरण वितरण अधिकारी/निवर्तन अधिकारी का पदाना	प्रथम किश्त की धनराशि (प्रथम दो माह हेतु)
1	2	3	4
1	आगरा	दु0विअ0 आगरा	1.20960
2	मैनपुरी	उप दु0विअ0 मैनपुरी	0.11386
3	मथुरा	दु0विअ0 आगरा	2.39461
4	फिरोजाबाद	-तदैव-	0.76114
आगरा मण्डल			**4.47921**
5	अलीगढ़	दु0विअ0 आगरा	1.58072
6	हाथरस	-तदैव-	0.34939
7	एटा	-तदैव-	0.29372
8	कासगंज	-तदैव-	0.28825
अलीगढ़ मण्डल			**2.51208**
9	झॉसी	उप दु0विअ0 झॉसी	0.66528
10	ललितपुर	-तदैव-	0.62383
11	जालौन(उरई)	उप दु0विअ0 जालौन(उरई)	0.17819
झॉसी मण्डल			**1.46730**
12	हमीरपुर	उप दु0वि0अ0 हमीरपुर	0.12283
14	महोबा	उप दु0वि0अ0 महोबा	0.01319
13	बॉदा	उप दु0वि0अ0 बॉदा	0.12843
15	चित्रकूट(कर्बी)	-तदैव-	1.00799
चित्रकूटधाम मण्डल			**1.27244**
16	लखनऊ	दु0विअ0 लखनऊ	7.87634
17	रायबरेली	-तदैव-	0.69687
18	हरदोई	-तदैव-	0.37516
19	उन्नाव	-तदैव-	0.68387
20	सीतापुर	-तदैव-	1.23177
21	लखीमपुर-खीरी	उप दु0वि0अ0 लखीमपरु-खीरी	1.29952
लखनऊ मण्डल			**12.16353**
22	बरेली	उप दु0वि0अ0 बरेली	2.13151
23	बदॉयू	-तदैव-	2.73985
24	पीलीभीत	उप दु0वि0अ0 पीलीभीत	0.13581
25	शाहजहॉपुर	उप दु0वि0अ0 शाहजहॉपुर	1.16835
बरेली मण्डल			**6.17552**
26	मेरठ	दु0वि0अ0 मेरठ	10.22218
27	बागपत	-तदैव-	1.01323
28	गाजियाबाद	-तदैव-	0.58606
29	हापुड़	-तदैव-	0.15723

....2

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

30	गौतमबुद्धनगर(नोएडा)	-तदैव-	0.81923
31	बुलन्दशहर	-तदैव-	2.13253
मेरठ मण्डल			**14.93046**
32	सहारनपुर	दु0वि0अ0 मेरठ	0.88665
33	मुजफ्फरनगर	-तदैव-	0.84058
34	शामली	-तदैव-	0.13975
सहारनपुर मण्डल			**1.86698**
35	मुरादाबाद	उप दु0विअ0 रामपुर	2.17047
36	सम्भल	-तदैव-	1.01760
37	अमरोहा	-तदैव-	0.73417
38	रामपुर	-तदैव-	0.27110
39	बिजनौर	-तदैव-	1.01828
मुरादाबाद मण्डल			**5.21162**
40	वाराणसी	उप दु0वि0अ0 वाराणसी	2.27859
41	चन्दौली	-तदैव-	0.85588
42	गाजीपुर	-तदैव-	0.20864
43	जौनपुर	-तदैव-	0.34361
वाराणसी मण्डल			**3.68672**
44	सन्तरविदासनगर	उप दु0वि0अ0 वाराणसी	0.26920
45	मिर्जापुर	उप दु0वि0अ0 मिर्जापुर	1.30134
46	सोनभद्र	उप दु0वि0अ0 सोनभद्र	0.13102
विंध्याचल मण्डल			**1.70156**
47	गोरखपुर	उप दु0वि0अ0 गोरखपुर	2.49313
48	महराजगंज	उप दु0वि0अ0 महराजगंज	0.05238
49	देवरिया	उप दु0वि0अ0 देवरिया	0.30713
50	कुशीनगर	-तदैव-	0.05800
गोरखपुर मण्डल			**2.91064**
51	बस्ती	उप दु0वि0अ0 बस्ती	2.07086
52	संतकबीरनगर	-तदैव-	0.07136
53	सिद्धार्थनगर	उप दु0वि0अ0 सिद्धार्थनगर	0.02189
बस्ती मण्डल			**2.16411**
54	आजमगढ़	उप दु0वि0अ0 आजमगढ़	1.91701
55	मऊ	उप दु0वि0अ0 मऊ	0.01114
56	बलिया	-तदैव-	0.44933
आजमगढ़ मण्डल			**2.37748**
57	प्रयागराज	दु0वि0अ0 प्रयागराज	1.98270
58	कौशाम्बी	-तदैव-	0.18885

....3

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

59	फतेहपुर	-तदैव-	0.54095
60	प्रतापगढ़	उप दु0वि0अ0 प्रतापगढ़	0.24855
प्रयागराज मण्डल			**2.96105**
61	कानपुर नगर	उप दु0वि0अ0 कानपुर	1.14652
62	कानपुर देहात	-तदैव-	0.22693
63	फर्रूखाबाद	-तदैव-	0.43484
64	कन्नौज	-तदैव-	0.53509
65	औरैया	-तदैव-	0.07669
66	इटावा	-तदैव-	0.14224
कानपुर मण्डल			**2.56231**
67	अयोध्या	उप दु0वि0अ0 अयोध्या	1.95701
68	अम्बेडकरनगर	उप दु0वि0अ0 अम्बेडकरनगर	1.11358
69	सुल्तानपुर	-तदैव-	0.42949
70	अमेठी	-तदैव-	0.42940
71	बाराबंकी	उप दु0वि0अ0 अयोध्या	1.54835
अयोध्या मण्डल			**5.47783**
72	गोण्डा	उप दु0वि0अ0 गोण्डा	1.54420
73	बलरामपुर	-तदैव-	0.17545
74	श्रावस्ती	उप दु0वि0अ0 बहराइच	0.08609
75	बहराइच	-तदैव-	1.62342
देवीपाटन मण्डल			**3.42916**
कुल योग			**77.35000**

(रू0 सतहत्तर लाख पैतीस हजार मात्र)

(बिन्द गोपाल द्विवेदी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।